खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 11/2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम नरेश कुमार

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 11/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/15

सायल :-		गैर सायल :-
जरिये सरकार आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली	बनाम	नरेश कुमार पुत्र श्री रामलाल मैसर्स वेज गो फुड जुना जाखोडा रोड रिको एरिया सुमेरपुर जिला पाली राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011

उपस्थितिः अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापत।

–:निर्णयः–

दिनांकः 25.07.2025

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 14.12.2022 को प्रस्तुत किया गया है।

राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज/ 2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/कोर्ट/एडीएम/2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान्/वकुलाय को सूचित किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार सायल दिनांक 02.08.2022 को वक्त निरीक्षण खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रामलाल मैसर्स वेज गो फुड जुना जाखोडा रोड रिको एरिया सुमेरपुर जिला पाली की फर्म पर अपना परिचय दिया, दुकान मालिक आम जनता को उपयोग हेतु बेसन बेच रहा था। दुकान मालिक/विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जो मौके पर मौजुद था। मैसर्स का निरीक्षण करने पर पाया गया कि वहां पर दुकान में बेसन के 40 पैकेट बेचने हेतु रखे थे, जिसको एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु देखा तो इसमें मिलावट का संदेह होने पर रुबरु गवाह के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5 ए भरकर दिया। दूसरे प्रपत्र 5 ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5 ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच हेतु लिया जा रहा है। प्रपत्र 5ए पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर है। रुबरु गवाह के सामने विक्रेता को रुपये 120 नगद देकर इनमें से 04 पैकेट बेसन को जांच हेतु खरीदा तथा रुपयों की रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 11 / 2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम नरेश कुमार

विक्रेता व गवाह के सामने चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.डी.ओ. कोड व सीरियल नम्बर नाम पता वस्तु का नाम नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक डाले गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्तार किये। चारो नमूना पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया चार पेपर स्लीप हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी पाली की नियमानुसार प्रत्येक नमूने पर सिरे से होते हुए नीचे पेंदे तक गोंद से चिपकाई चारों नमूनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमूना पर नियमानुसार चार–चार सील चपडी की लगाई एक नमूने के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर डी.ओ. कोड व सीरियल नम्बर दिनांक वस्तु का नाम एवं स्थान डाले गये। परिरक्षक की मात्रा अंकित कर हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लीप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर क्रॉस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबंद अवस्था में कब्जे राज लेकर मौका फर्द तैयार की गई।

नमनें के एक सीलबंद भाग को फॉर्म नम्बर 06 की एक प्रति के साथ जिस पर वही सील नमूनां अंकित था जो मेने नमूना लेते समय काम मे ली थी एक आउटर कवर में बन्द कर नाम पता लिख कर अगले कार्यदिवस को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अभिहित अधिकारी पाली से प्राप्त जांच रिपोर्ट द्वारा मालूम हुआ कि उक्त नमूना निर्धारित कोटी का नहीं होने के कारण मिसब्रान्ड श्रेणी का पाया गया। अतः अभियुक्त ने एफएसएसए की धारा 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया है जो कि एफएसएसए एक्ट की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री छगनलाल प्रजापत ने वकालतनामा प्रस्तुत किया।

अधिवक्तागण अप्रार्थीपक्ष ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 02.08.2022 को वास्ते जांच लिये गये नमूना जो कि खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की रिपोर्ट के द्वारा मिसब्रांड श्रेणी का पाया गया, जिसमें अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार किया गया तथा निवेदन किया कि उक्त अपराध की सजा आजीवन कारावास अथवा मृत्यूदण्ड नहीं है। अतः प्रकरण का निस्तारण करावें।

प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस के दौरान कोई उपस्थित नहीं होने से उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों से जाहिर होता है कि दिनांक 02.08.2022 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स वेज गो फूड जुना जाखोडा रोड रिको एरिया सुमेरपुर जिला पाली में जैर कार्यवाही खाद्य सामग्री 'Besa' (Weg Go Brand) नमूना क्रमांक आर–1487 खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, जोधपुर की जांच रिपोर्ट दिनांक 08.08.2022 में 'Misbrand' होना पाया गया। यदि अप्रार्थी खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर की उक्त रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता तो अधिनियम 2006 की दुबारा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 11 / 2024
र्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011
उनवान खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम नरेश कुमार

हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता था किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट होता है अप्रार्थी द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट को चुनौति नहीं दी गई।

इस प्रकार, अप्रार्थी द्वारा 'मिसब्रांडेड' खाद्य सामग्री 'Besan (Weg Go Brand) नमूना क्रमांक –1487 का उत्पादन / विक्रय / भण्डारण करना साबित होता है, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य मानक अधि. 2006 की धारा 26 (2) (ii) के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 49 में विहित मापदण्डों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा 52 में विहित प्रावधानान्तर्गत 'मिसब्रांडेड' श्रेणी की खाद्य सामग्री 'Besan (Weg Go Brand) नमूना क्रमांक आर–1487 जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf) में यथापरिभाषित है,के विक्रय एवं भण्डारण के कारण कुल 5000 / – रुपये मात्र अक्षरे पांच हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है। साथ ही, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली को निर्देश दिए जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील नियमानुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली
दिनांक :

क्रमांक / कोर्ट / खा.सु.प्र.स.11 / 2024 / 2025 /
प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली
3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली,

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बाली

Scanned with OKEN Scanner